

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या: 2463/1जी-FP/UK/ROAD/10177/2015 देहरादून: दिनांक: 23, फरवरी, 2016

सेवा में,

अपर सचिव, वन
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग शहीद भगत सिंह मार्ग के किमी0 3.00 से चटिग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के किमी0 16.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव FP/UK/ROAD/10177/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्ताव की हार्ड कापी की प्रति इस कार्यालय के पत्रांक-2474 दिनांक 23-2-16 के द्वारा पूर्व में ही भारत सरकार को प्रेषित की जा चुकी है। (प्रति संलग्न) अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)
प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)
परियोजना का नाम:

जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग शहीद भगत सिंह मार्ग के किमी० 3.00 से चटिग्याला-कोटी-नौली-हिण्डोली होते हुये सोनला-कण्डारा मोटर मार्ग के किमी० 16.00 तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.307 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव FP/UK/ROAD/10177/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग में 0.87 राजस्व वन भूमि, 0.437 है० पंचायत वन भूमि अर्थात् कुल 1.307 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग तथा वन संरक्षक, पौड़ी द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः सहमति की दशा में प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (एस०टी०एस० लेप्चा भा.व.से.)

प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण विदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 23/02/2016

स्थान : देहरादून

कार्यालय—अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
पत्रांक—2474 / FP/UK/ROAD/10177/2015 देहरादून:दिनांक: 23 फरवरी, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:—जनपद चमोली के विकासखण्ड कर्णप्रयाग में शहीद भगत सिंह मार्ग (तेफना—कण्डारा मोटर मार्ग) के कि0मी0 3.00 से चटिग्याला—कोटी—नोली—हिन्डोली होते हुये सोबला—कण्डारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.357 हे० वन भूमि हस्तान्तरण लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।
(ऑनलाईन फाईल संख्या— FP/UK/ROAD/10177/2015)

संदर्भ:—भारत सरकार की पत्र संख्या— Misc/II/ROC/COP/1/2013/1846 दिनांक 06—11—2015.

महोदय,

भारत सरकार के उक्त पत्र के अनुपालन में विषयांकित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की हार्ड कापी की एक प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। अतः अनुरोध है कि प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति निर्गत करने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न:—यथोपरि।

भवदीय,

(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी।